एस डी ओ रीडर

१८ पत्रावली ओपन कोर्ट में पेश हुई। कोई आवेदन उपलब्ध हो कोई पक्षों को फैसला बाद किये जाने से पाबन्द किया जाता है कि विवाद आपसी की मौखिक व (रजामन्द) निपटारे की प्रार्थना स्वीकृति बनाये रखें। पत्रावली फैसला मुताबिक होकर नियमानुसार से काम हो तथा बाद तामील संलग्न बाद हो।